



THE PLASTICS EXPORT
PROMOTION COUNCIL

दि प्लास्टिक एक्स्पॉर्ट प्रमोशन कौन्सिल

(भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित)

THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL

(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ संख्या: PLEXHO/Cir/064 दिनांक: 16.04.2026

को,

प्लेक्सकॉन्सिल/सीओए के सभी सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया,

विषय: निर्यात संवर्धन मिशन (ईपीएम) के अंतर्गत निर्यात सुविधा हेतु लचीलापन और रसद हस्तक्षेप (रिलीफ) के घटक द्वितीय के तहत नई ईसीजीसी संपूर्ण कारोबार नीति की पात्रता पर स्पष्टीकरण।

संदर्भ: डीजीएफटी नीति परिपत्र संख्या 01/2026-27 दिनांक 15 ^{अप्रैल} 2026

हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि निर्यात संवर्धन मिशन (ईपीएम) के अंतर्गत निर्यात सुविधा हेतु लचीलापन और रसद हस्तक्षेप (रिलीफ) के घटक II के तहत नई ईसीजीसी संपूर्ण कारोबार नीति की पात्रता पर स्पष्टीकरण के संबंध में एक परिपत्र जारी किया गया है।

राहत घटक II के तहत, निर्यातकों को खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र के प्रभावित देशों में डिलीवरी या ट्रांसशिपमेंट के लिए भेजे जाने वाले माल के लिए ईसीजीसी क्रेडिट बीमा कवर का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु सहायता प्रदान की जाती है।

घटक II के अंतर्गत सहायता के लिए 16.03.2026 को या उसके बाद पहली बार नई ईसीजीसी संपूर्ण कारोबार नीति की पात्रता के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया है।

इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि घटक II के अंतर्गत मिलने वाला लाभ उन निर्यातकों को भी उपलब्ध होगा जो 16.03.2026 को या उसके बाद पहली बार नई ईसीजीसी होल टर्नओवर पॉलिसी प्राप्त करते हैं।

दिनांक 19 मार्च 2026 की अधिसूचना संख्या 65/2025-26

(https://membership.plasticsepc.org/mails_images/20260320114607.pdf) के अन्य सभी प्रावधान अपरिवर्तित रहेंगे। सदस्यों से अनुरोध है कि वे

विस्तृत अधिसूचना यहां देखें:

https://membership.plasticsepc.org/mails_images/20260416123916.pdf

यह आपकी जानकारी के लिए है।

साभार

भारती परवे

उप निदेशक (व्यापार एवं नीति)

प्लेक्सकॉन्सिल